



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.in>, E-mail: info@upavp.com



पत्र सं०-2912/एल०ए०सी०/एच०क्यू०/

दिनांक 7/3/2021

सूचना

अयोध्या शहर की आवासीय समस्या के समाधान हेतु भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत दिनांक 17.10.2020 को गजट प्रकाशित कराया गया, जिसमें ग्राम-शाहनेवाजपुर मौँझा, ग्राम-बरेहटा मौँझा एवं ग्राम-तिहुरा मौँझा की भूमि समाविष्ट हैं। धारा-28 के प्रकाशन के उपरान्त परिषद अधिनियम-1965 की धारा-29 के अन्तर्गत योजना के काश्तकारों को नोटिसें निर्गत की गयी। उक्त योजनान्तर्गत प्रथम चरण में ग्राम-शाहनेवाजपुर मौँझा, परगना हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या की प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई, नियोजन समिति द्वारा सर्किट हाउस अयोध्या में निम्नानुसार किया जाना निर्धारित किया गया है।

क्र. सं०	आपत्ति सुनवाई का दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	आपत्ति सुनवाई हेतु निर्धारित समय
1	09.03.2021	शाहनेवाजपुर मौँझा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या	खसरा संख्या-190 से 348 ख तक	पूर्वाह्न 11:00 बजे से
2	16.03.2021	शाहनेवाजपुर मौँझा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या	खसरा संख्या-348 ग से 461 तक	पूर्वाह्न 11:00 बजे से
3	23.03.2021	शाहनेवाजपुर मौँझा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या	खसरा संख्या-462 से 658 तक	पूर्वाह्न 11:00 बजे से
4	30.03.2021	शाहनेवाजपुर मौँझा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या	खसरा संख्या-659 से 769 ठ तक	पूर्वाह्न 11:00 बजे से

अतः योजना अन्तर्गत समाविष्ट ग्राम-शाहनेवाजपुर मौँझा, के काश्तकारों को सूचित किया जाता है, कि आपत्ति सुनवाई हेतु उक्त निर्धारित तिथि व स्थान व समय पर उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

संयुक्त आवास आयुक्त (भूमि)